न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 142/2017

1. साहबराम
2. विष्णु
3. सुभाष

पिसरान कुम्भाराम जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट्स

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सन्दीप पुत्र सोहन लाल जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी , तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
दिनांक 04.09.2017

उपस्थिति—

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक अपीलांट

श्री विजय रेवाड अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री जीतपाल सिंह सैनी अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक— 4-7-2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर कथन किया कि प्रा.पत्र की मद सं. 3 में दर्ज आराजी विरासतन भूमि है एवं प्रार्थी के नाम 22.692है0 आराजी में से 1/7 हिस्सा यानि 3.241है0 आराजी राज दर्ज है एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 जोकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की बहिनों ने अपने हक व हिस्सा की प्रत्येक की 3.241है0 आराजी को काफी अर्सा पूर्व अपने भाईयों के हक में ब.हि.ब. छोड दिया था जिसके मुताबिक प्रतिवादी सं. 9 व 10 के हक व हिस्सा की कुल 6.483है0 आराजी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

1/6 हिस्सा यानि 1.080है0 व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 प्रत्येक को 1.080 है व प्रतिवादी सं. 4 ता 6 को ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा 1.080है 0 प्रतिवादी सं. 7, 8 को ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा यानि 1.080है0 आराजी प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी सं. 9 व 10 ने मौखिक रूप से अपना हक व हिस्सा प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण के हक में छोड रखा था जिसके मुताबिक प्रार्थी को मुताबिक बंटवारा एवं नाम दर्ज आराजी के हिसाब से कुल 3.241है0 + 1.080है0 कुल 4.321 है0 आराजी प्राप्त हुई। प्रतिवादी सं. 9 ने अपने हक व हिस्सा की 3.241है0 आराजी को प्रार्थी के साथ मनमुटाव के चलते एंव प्रार्थी के हक व हिस्सा को प्रभावित करने की नीयत से अपने नाम दर्ज आराजी को अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व अप्रार्थी सं. 4 के हक में जरिये दस्तबरदारी त्याग कर दिया है जोकि प्रार्थी के हक व हिस्सा पर शून्य व निष्प्रभावी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकार ताफैसला दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगा संख्या 1 ता 4 दस्तवरदारी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 9 के नाम दर्ज चक 40 एमएम के खाता सं. 101/99 की 3.241है0 आराजी को आने नाम से दर्ज करवाकर रहन, बैय आदि दीगर से हस्तांतरित करने व प्रार्थी की कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे।

(A) अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने 9 बिन्दुओं सहित जबाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

(B) अप्रार्थी सं. 4 ने इकबाल–ए– प्रा. पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में सहमति दी।

(C) उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने आदेश दिनांक 04.09.2017 से प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 दस्तबरदारी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 9 सीतादेवी के नाम दर्ज चक नम्बर 40एमएमके के खाता सं. 101/99 की 3.242है0 आराजी की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं इस आराजी को अप्रार्थीगण अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने एवं रहन, बैय

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

या किसी अन्य दिगर तरीके से हस्तांतरित करने व प्रार्थी की कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से निषेधित रहे।

(D) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश कानून विरूद्ध, रिकार्ड एवं विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधी. न्यायालय में जिस भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है वह वर्तमान समय में राजस्व रिकार्ड में सीता देवी के नाम दर्ज है। सीता देवी अभिलिखित खातेदार थी उसे अधी. न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। अधी.न्यायालय द्वारा अभिलिखत खातेदार को सुने बिना उसकी भूमि पर स्थगन आदेश पारित कर दिया जो सही नहीं है। अधी. न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही मौखिक बंटवारे के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

(ii) विद्वान अभिभाषकगण रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतःनिवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) अधी.न्यायालय में रेस्पोडेंट किशनलाल ने दावा पेश किया। दावे का मुख्य आधार पैतृक सम्पत्ति एवं बहनों द्वारा की गई उसके व अन्य भाई सहित रीलीज डीड को लेकर घोषणा का है। मूल वाद में मुख्य प्रश्न जिनका अधी. न्यायालय को विनिश्चय हेतु निर्धारित करने है वे स्वमेव स्पष्ट है:–

(अ) यह कि भूमि पैतृक है अथवा स्वअर्जित?

(ब) यह कि क्या रीलीज डीड निष्पादित हुई?

(स) यदि हॉ तो क्या एक सहखातेदार किसी एक अन्य खातेदार के पक्ष में अन्य खातेदारों को वंचित करते हुए रीलीज डीड कर सकता है?

उक्त तीनों ही प्रश्न विधि के है जिन्हें राजस्व न्यायालय को विनिश्चित विधितः करने है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(b) अपीलांट का यह कथन कि प्रत्यर्थी ही रीलीज डीड को इंकार करते है। अतः उन्हें सिविल न्यायालय में खारिजी की डिक्री प्राप्त करनी चाहिए।

यह नितांत अनर्गल तर्क है क्योंकि अपीलांट स्वयं अधी. न्यायालय में रीलीज डीड को आधार बना कर दावा लाए हैं। अतः उन्हें ही इसे साबित करना होगा नाकि वे यह तर्क दे कि प्रत्यर्थी अर्थात प्रतिवादी इसे माने, जब तक कि सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त ना कर दी जावे। यद्यपि उक्त रीलीज डीड का राजस्व रिकार्ड में आदिनांक तक अंकन नहीं हुआ। अतः अपीलांट की अपील का ठोस आधार नहीं है।

(c) अपीलांट का यह कथन कि प्रत्यर्थी ने रिकार्डेड खातेदार उनकी स्वयं की बहन जिसके द्वारा कथित रीलीज डीड उनके पक्ष में की गई है, को पक्षकार अपने आवेदन में नहीं बनाया स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि अधी. न्यायालय के समक्ष धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रा.पत्र में प्रत्यर्थी को भूमि के अनाधिकार हस्तांतरण से अपीलांट से ही आशंका थी क्योंकि वे ही रीलीज डीड के आधार पर दावा लाये थे। अतः बहन को पक्षकार ना बनाना तात्विक भूल नहीं है।

(d) उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि विद्वान अधी. न्यायालय ने विवेकपूर्ण निर्णय पारित किया है। क्योंकि मूलवाद अधी. न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः उक्त निर्णय में हस्तक्षेप उचित कार्यवाही नहीं होगी।

अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.09.2017 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4-7-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर